तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.12.2017	वकुलाय उपस्थित। वकील अप्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रकरण में निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत को रिमाण्ड किया जाता है, तो उन्हे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। वकील प्रार्थी इससे सहमत है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत नादाना भाटान द्वारा मिसल संख्या 1/1985-1986 में पारित प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 16.08.1985 एवं उसकी पालना में लालसिंह पुत्र गुमानसिंह जाति राजपुरोहित निवसी खटुकडा (खरोकड़ा) तहसील रानी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 29 दिनांक 22.08.1985 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ ग्राम पंचायत नादाना भाटान को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में प्रदत्त प्रक्रिया की पूर्ण पालना करते हुए विधि सम्मत कार्यवाही करें। इस निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत नादाना भाटान को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो। **अति. जिला कलक्टर, पाली**	